झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | तृतीय सत्र

संख्या-01 | शुक्रवार, दिनांक-21 अगस्त, 2015 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 11.50 बजे पूर्वा० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. अध्यक्ष का प्रारंभिक वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सत्र के दौरान आसन को सहयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

2.सभापति तालिका की घोषणा

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 10 (1) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र के लिए निम्नांकित माननीय सदस्यों को आसन द्वारा सभापति मनोनीत किया गया-

i- श्री स्टीफेन मराण्डी,	स०वि०स०,
ii- श्री अशोक कुमार,	स०वि०स०,
iii- श्री फुलचन्द मण्डल,	स०वि०स०,
iv- श्री आलमगीर आलम,	स०वि०स० एवं
v- श्रीमती गीता कोड़ा,	स०वि०स०।

3. समिति का गठन

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 224(1) के तहत चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के तृतीय सत्र के लिये कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न रूप से किया गया-

श्री दिनेश उराँव,	अध्यक्ष, विधान सभा,	सभापति,
श्री रघुवर दास,	मुख्यमंत्री,	सदस्य,
श्री हेमन्त सोरेन,	नेता प्रतिपक्ष,	सदस्य,
श्री सरयू राय,	संसदीय कार्य मंत्री,	सदस्य,
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी,	मंत्री,	सदस्य,

(क्र० पृ०उ०)

श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०, सदस्य,
श्री प्रदीप यादव, स० वि० स०, सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, मंत्री,
श्री अरुप चटर्जी, स० वि० स०,
श्रीमती गीता कोड़ा, स० वि० स०,
श्री राज कुमार यादव, स० वि० स०,
श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स० वि० स०,
श्री कुणाल षड़ंगी, स० वि० स० एवं
श्री अनन्त कुमार ओझा, स० वि० स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। समिति की बैठक आज सभा की कार्यवाही के स्थगनोपरांत अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के कार्यालय कक्ष में आयोजित किये जाने सम्बन्धी सूचना आसन द्वारा देते हुए समिति के सभी माननीय सदस्यों से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया।

4. अध्यादेशों की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना

भारत का संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (2) (क) के अनुसरण में, माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखी गयी-

क्रमांक	अध्यादेश का नाम एवं संख्या
1.	झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (अध्यादेश संख्या-1/2015)
2.	झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (अध्यादेश संख्या-2/2015)
3.	झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (अध्यादेश संख्या-3/2015)

5. अनुमत विधेयकों की सूची सभा पटल पर रखा जाना

सभा सचिव द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र मे उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित तथा राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की निम्न विवरणी सदन पटल पर रखी गयी-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2015	04.03.2015	03/2015
2.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03), विधेयक, 2015	27.03.2015	04/2015

(क्र० पृ० उ०)→

3.	झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015	10.04.2015	05/2015
4.	झारखण्ड विनियोग (अधिकाई व्यय 2002-03, 2003-04, 2004-05,2005-06, 2006-07, 2007-08,2008-09, 2009-10, 2010-11) विधेयक, 2015	27.04.2015	06/2015
5.	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015	05.05.2015	07/2015
6.	झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015	12.05.2015	08/2015

6. विविध चर्चायें

i- इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया कि लोकसभा की भाँति झारखण्ड विधान सभा में भी शोक प्रकाश के उपरांत भी सत्र जारी रखा जाय ताकि बाबाधाम में हुए भगदड़ के दौरान मारे गये काँवरियों तथा पुलिस मुख्यालय के समीप गृह विभाग के पदाधिकारी को गोली मारे जाने जैसी घटनाओं पर चर्चा हो सके। आसन द्वारा इसे कार्य मंत्रणा समिति की आहूत बैठक में चर्चा किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

ii- माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा पटल पर अध्यादेशों की प्रति रखे जाने के सम्बन्ध में नियमापत्ति उठायी गयी जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री सरयू राय द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे नियम संगत बताया।

7. आसन से नियमन

माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा सदन पटल पर अध्यादेशों की प्रति रखे जाने के सम्बन्ध में उठायी गयी नियमापत्ति पर आसन द्वारा निम्न नियमन दिये गये-

अत्यावश्यक विषयों पर तात्कालिक अनिवार्यता को छोड़कर अन्य मामलों में अध्यादेश जारी करने से सरकार को परहेज करना चाहिए। सत्र का आहूत किया जाना शीघ्र ही संभावित हो, तो अध्यादेश जारी करने से कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण की अवधारणा कमजोर होती है क्योंकि विधायिका को ही विधान बनाने या संशोधन करने का अधिकार है। माननीया राज्यपाल द्वारा वर्तमान सभा को आहूत किये जाने का संदेश दिनांक-6 अगस्त, 2015 को दिये जाने के पूर्व ही दिनांक-31 जुलाई, 2015 को अध्यादेश संख्या 3/2015 जारी किये जा चुके थे। अध्यादेश एक कानून के रूप में प्रभावी होता है, इसलिए इसकी वैधानिकता अध्यक्ष द्वारा निर्धारित

(क्र० पृ०(प०) →)

नही की जा सकती है। अतः वर्तमान मामले में अध्यादेशों की प्रति सभा पटल पर रखे जाने में कोई नियमापत्ति नही है।

8. सभा पटल पर प्रतिवेदन का रखा जाना

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के तहत माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (A.T.R.) भाग-1 एवं 2 सभा पटल पर रखा गया।

9. शोक-प्रकाश

विगत सत्र से अब तक की अवधि में दिवंगत हुए महत्वपूर्ण राजनेता, साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार आदि हमारे बीच से रूखसत हो गये। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम, राष्ट्र की प्रथम महिला शुभ्रा मुखर्जी, पूर्व विधायक बलदेव हाजरा, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जे.बी. पटनायक, पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, समाजसेवी सिस्टर निर्मला आदि इनमें से प्रमुख है, के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गयी। इसके अतिरिक्त बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य, वैद्यनाथ यादव, सुशील कुमार सिंह, मांगन इंसान, बालेश्वर राम, विश्वमोहन भारती, पूर्व मंत्री, राम नरेश प्रसाद, आनंद मोहन सिंह, रॉक गॉर्डेन के निर्माता नेकचंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरीय प्रचारक बाबाराव पुराणिक, संथाली अभिनेता और साहित्यकार पीताम्बर सोरेन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय कृष्ण हांडी, साहित्यकार मनोहरलाल गोयल, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व सांसद, वल्लभ पाणिग्रही, स्वतंत्र भारत के प्रख्यात वास्तुकार चार्ल्स कोरिया, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता शीला कौल, मशहूर टी.वी. कलाकार सुधा शिवपुरी, इतिहासकार अमलेन्दु गुहा, झारखण्ड एकेडमिक कॉन्सिल के प्रथम अध्यक्ष, डॉ शालिग्राम यादव के अतिरिक्त रायबरेली ट्रेन हादसा, श्रावणी मेला के दौरान देवघर में मची भगदड़, सरायकेला-खरसावां के चौका में हुई सड़क दुर्घटना, हरदा में हुई ट्रेन हादसे, खूंटी में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के दौरान एस.एस.पी. के चालक रूमुल सेवईया के निधन और डायन-बिसाही के नाम पर मारे गये लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त की गयी। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री,श्री रघुवर दास, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्य, श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रदीप यादव, राजकुमार यादव, कुशवाहा शिवपुजन मेहता एवं श्रीमती गीता कोड़ा द्वारा भी शोक संवेदनायें व्यक्त की गयी तत्पश्चात् उनकी आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-24.08.2015 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रॉंची,
दिनांक-21 अगस्त, 2015 ई०।

सुशील कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।